

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-21.05.2023

सेवा में,

**NETAJI SUBHAS MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL,  
PLOT NO- IT 8 (P)-A, IT-9, IT-10, PHASE- 7,  
NEAR AUTO CLUSTER, ADITYAPUR. 832109**

**विषय:- मौजा-HATYADIH AND BHATIA, प्लॉट नं०-IT 8 (P)-A, IT-9, IT-10, खाता नं०-60, 81, 84, वार्ड नं०-00, थाना-आदित्यपुर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ में प्रस्तावित भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित प्रस्तावित भवन भवन के स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, आदित्यपुर के माध्यम से आदित्यपुर स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-208 दिनांक-19.05.2023 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित भवन परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 1,50,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 20,000 लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ सभी स्टेयरकेश लॉबियों में 150 MM डायामेटर का एक-एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी० लम्बा होज रील होज, 63 MM डायामेटर का डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय। सतही तल पर चारों तरफ एक-एक यार्ड हाईड्रैण्ड का संस्थापन किया जाय।
5. भवन के बेसमेन्ट सहित पूरे अस्पताल भवन को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्मिंग सिस्टम से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
6. पूरे अस्पताल भवन में एड्रिसेबल टाईप डिटेक्शन एण्ड अलार्मिंग सिस्टम का संस्थापन कराया जाय। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि इसकी आवाज भवन के प्रत्येक भाग में स्पष्ट रूप से सुनाई देने में सक्षम हो।
7. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2280 Lpm क्षमता का एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
8. 900 Lpm क्षमता का एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
9. 180 Lpm क्षमता का एक जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय।
10. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित एक पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
11. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
12. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
13. उपर्युक्त भवन के प्रत्येक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के०जी० से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
14. दो बेड वाले पेशेंट रूम के दरवाजे की चौड़ाई कम से कम 1.25 मीटर, 3-5 बेड वाले पेशेंट रूम के दरवाजे की चौड़ाई 1.50 मीटर एवं 5 से अधिक बेड वाले पेशेंट रूम के दरवाजे की चौड़ाई कम से कम 2 मीटर अवश्य रखी जायेगी।

16. सतही तल मुख्य प्रवेश द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
17. 100 वर्ग मीटर से अधिक एरिया वाले पेशेंट बेड रूम में कम से कम 2 दरवाजे दिये जाय।
18. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिसटेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
19. सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले (Outward Openings) रहेंगे।
20. भवनों की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।
21. भवनों में प्रति 400 वर्गफीट के लिये कम से कम दो तथा प्रत्येक कम्पार्टमेन्ट के लिये चार की दर से 09 लीटर क्षमता का वाटर सी0ओ0टू0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
22. मेन इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
23. ओ0टी0 रूम/लैब में 4.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद CO<sub>2</sub> अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
24. वैस्ट मैटेरियल के डिस्पोजल हेतु इन्सिनरेटर लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
25. भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। अस्पताल भवन में उँचाई NBC मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
26. भवन के बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
27. भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो।
28. अस्पताल भवन में रैम्प NBC मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
29. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
30. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
31. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
32. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
33. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.3 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**JAGJEEWAN  
RAM**

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM  
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL  
AND DISASTER MANAGEMENT,  
2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90b  
e3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand,  
serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d  
90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM  
Date: 2023.05.21 17:06:19 +05'30'

(जगजीवन राम),  
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।